अरावली

इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
फोनः— 0141—2710556
ईमेल : email@aravali.org.in वेबसाईट www.aravali.org.in

क्रमांक : अरावली / टैक्सी / 2024 / दिनांक 29 जुलाई 2024

अरावली को वाहन आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबंध में

अरावली, राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्तशाषी संस्थान है। अरावली को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जयपुर शहर एवं बाहर जाने हेतु वाहनों की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबंध में विभिन्न सेवा प्रदायगी एजेन्सियों /ट्रेवल एजेन्सियों से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाईट www.aravali.org.in पर देखी जा सकती है। प्राप्त फर्मों को खोलने की तिथि के संशोधन में क्रय समिति को पूर्ण विवेकाधिकार होगा तथा तिथि संशोधन की सूचना नोटिस बोर्ड पर अंकित कर दी जाएगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अवधि	अमानत राशि	फार्म शुल्क	फार्म विक्रय तिथि एवं समय	फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	अरावली को वाहन आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु	1 वर्ष	2000 / —	100 / —	वेबसाईट पर प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	दिनांक 07 अगस्त 2024 को सायंकाल 5.00 बजे तक

कार्यक्रम निदेशक

ARAVALI JAIPUR

अरावली

इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
फोनः– 0141–2710556
ईमेल : email@aravali.org.in वेबसाईट www.aravali.org.in

क्रमांक : अरावली / टैक्सी / 2024 / दिनांक 29 जुलाई 2024

अरावली को वाहन आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबंध में

अरावली, राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्तशाषी संस्थान है। अरावली को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जयपुर शहर एवं बाहर जाने हेतु वाहनों की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबंध में विभिन्न सेवा प्रदायगी एजेन्सियों /ट्रेवल एजेन्सियों से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

वाहनों की आवश्यकता निम्न प्रकार है :–

1	स्विफ्ट डिजायर, ईटियोस, होण्डा अमेज,
2	मारूति सुजुकी एरटीगा, किया केर्न्स 7 सीटर
3	इनोवा क्रिस्टा
4	इनोवा हाईक्रोस
5	टैम्पो ट्रेवलर 12 /14 सीटर
6	मिनी बस 18 सीटर
7	मिनी बस 25 सीटर
8	मिनी बस 35 सीटर
9	बस 52 सीटर

सेवा प्रदायगी एजेन्सियों /ट्रेवल एजेन्सियों द्वारा भेजे गये कोटेशन में निम्नलिखित बातों का स्पष्ट रूप से अंकन होना चाहिए :–

1. पिकअप एवं ड्राप चार्जेज (एअरपोर्ट एवं रेल्वे स्टेशन जयपुर शहर हेतु)
2. स्थानीय दरें प्रति घण्टे / कि.मी. के आधार पर

ARAVALI JAIPUR

3. न्यूनतम कि.मी. चार्जेज (जयपुर शहर से बाहर जाने पर)

4. रात्रि विश्राम चार्जेज

अरावली को वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में सामान्य शर्तें :–

1. स्थानीय दरें अरावली कार्यालय /निर्दिष्ट स्थान से अरावली कार्यालय/निर्दिष्ट स्थान तक ही देय होगी। स्थानीय उपयोग के अतिरिक्त किलोमीटर की गणना संस्थान से वाहन रवाना होने अथवा वापिस आने पर जो होगी, उसके अनुसार कुल किलोमीटर की गणना की जायेगी।

2. टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क एवं सर्विस टैक्स की राशि दरों में शामिल नहीं की जावे (टोल टैक्स व पार्किंग शुल्क पर हुए वास्तविक व्यय एवं उस समय प्रचलित सर्विस टैक्स का भुगतान अतिरिक्त देय होगा) दी गई दरों में उक्त के अलावा सभी कर शामिल होने चाहिए। राज्य से बाहर वाहन जाने पर स्टेट टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर अरावली द्वारा वास्तविक राशि का भुगतान किया जावेगा।

3. रात्रि विश्राम की दर प्रति रात्रि अंकित करें (रात्रि विश्राम रात्रि 12 बजे बाद ही देय होगा)

4. वाहनो का मॉडल कारों के लिए वर्ष 2020 से पुराने नहीं होने चाहिए तथा वाहन नियमानुसार पूर्णतः बीमित होना आवश्यक है। विधिक ड्राईविंग लाईसेंस धारी ड्राईवर होगा। उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की सीट्स कटी फटी ना हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। वाहन में वाईपर, हैडलाईट, डोमलाईट, इण्डिकेटर सही कार्य कर रहें हो तथा खिड़कियों के शीशे सही हालत में हो।

5. वाहन विभाग की आवश्यकता की सूचना मिलने के दो घण्टे के भीतर उपलब्ध करवाना होगा। किसी वाहन दुर्घटना की स्थिति में अरावली का कोई दायित्व नहीं होगा न ही वह किसी क्लेम के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

6. वाहन खराब होने /दुर्घटनाग्रस्त होने पर सेवा प्रदाता को तत्काल मौके पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

7. अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादन दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसको दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अधिकतम 1 वर्ष के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

8. यदि सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं करवाया जाता है अथवा कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाती है तो एक सप्ताह के नोटिस पर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।

ARAVALI JAIPUR

9. यदि सेवा प्रदाता मध्य में सेवा नहीं देना चाहे तो उसे अरावली को 2 महिने का पूर्व नोटिस देना होगा। नोटिस पीरियड में सेवा प्रदाता द्वारा अरावली को वाहन निर्धारित शर्तें एवं दरों के आधार पर उपलब्ध कराना होगा।

10. यदि सेवा प्रदाता किसी सेवा कर में पंजीकृत है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करानी होगी।

11. सेवा दाता /अनुबंधकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।

12. सेवा / अनुबंध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु सेवा प्रदाता द्वारा अरावली को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार सेवा प्रदाता द्वारा वहन किये जायेंगें।

13. ड्यूटी समय में वाहन चालक के पास लाईसेन्स एवं आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित पोशाक में होना अनिवार्य है तथा उपलब्ध कराये गये सभी वाहन बीमित होना अनिवार्य है।

14. यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कार्यकारी निदेशक, अरावली का निर्णय सर्वमान्य होगा, जो सेवाप्रदाता को मान्य होगा।

15. सेवा प्रदाता द्वारा अरावली को प्रदान की जाने वाली सेवा या अन्य किसी कारणवश से फर्म पर सरकार या किसी अन्य व्यक्ति /संस्थान की ओर से कोई विधिक या वित्तीय आरोपित किया जाता है तो उसके लिए पूर्णतः फर्म ही जिम्मेदार होगी इसमें अरावली का कोई दायित्व नहीं होगा।

16. वाहन के संचालन के दौरान ड्यूटी स्लिप चालक के पास रहेगी तथा संबंधित अधिकारी से जिसने यात्रा की है, यात्रा समाप्ति पर ड्यूटी स्लिप में प्रविष्टी दर्ज करवाकर हस्ताक्षर करवाने होंगे तथा मूल ड्यूटी स्लिप बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

17. वाहन चालक का व्यवहार अनुशाषित एवं विनम्र होना चाहिए। यदि वाहन चालक का व्यवहार संतोषजनक नहीं हुआ तो सेवा प्रदाता द्वारा संबंधित चालक को भविष्य में नहीं भेजा जावेगा।

18. वाहन की बुकिंग कराने पर वाहन भेजते समय वाहन की टंकी में ईंधन फूल करवाकर वाहन को भिजवाना होगा।

19. सेवाप्रदाता फर्म द्वारा अरावली के साथ किए गए करार / अनुबंध के समयावधि के बीच में अनुमोदित दरों को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

ARAVALI JAIPUR

20. यदि सेवाप्रदाता फर्म द्वारा अरावली के साथ किए गए करार / अनुबंध की शर्तो एवं दरों पर सेवा देने मे असमर्थ है, तो उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को जप्त कर लिया जावेगा।

21. आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने पर प्रत्येक यात्रा के लिए पृथक–पृथक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने होंगे। अरावली द्वारा निर्धारित देय भुगतान पर नियमानुसार कर कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

22. सेवा प्रदाता/एजेन्सी अरावली कार्यालय से 100 रू. जमा कराकर फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

23. फार्म जमा कराते समय अमानत राशि (रू. 2000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट या नगद) जमा कराने की रसीद की प्रतिलिपि संलग्न किया जाना आवश्यक है। फार्म के साथ अमानत राशि जमा कराने की रसीद प्रस्तुत नहीं करने पर सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत फार्म स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

कृपया संलग्न प्रारूप – 1 एवं 2 में सेवा प्रदाता अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकन करें।

ARAVALI JAIPUR

प्रारूप–1

अरावली संस्थान को आवश्यकता के आधार पर जयपुर से बाहर के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु कोटेशन

क्र.सं.	विवरण	जयपुर शहर के बाहर के लिए दर प्रति कि.मी. (मॉडल 2020 एवं उपर)	
		ए.सी.	नॉन ए.सी.
	संस्थान में संलग्न शर्तों के अनुसार मय चालक एवं पैट्रोल व डीजल के कार किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य (मॉडल 2020 या उसके बाद)		
1	स्विफ्ट डिजायर, ईटियोस, होण्डा अमेज,		
2	मारूति सुजुकी एरटीगा, किया केर्न्स 7 सीटर		
3	इनोवा क्रिस्टा		
4	इनोवा हाईक्रोस		
5	टैम्पो ट्रेवलर 12 /14 सीटर		
6	मिनी बस 18 सीटर		
7	मिनी बस 25 सीटर		
8	मिनी बस 35 सीटर		
9	बस 52 सीटर		
	न्यूनतम कि.मी. प्रति दिन		
	रात्रि विश्राम चार्जेज		
	अन्य विवरण		

सेवा प्रदाता /ट्रेवल एजेन्सी संचालक के हस्ताक्षर मय मोहर

ARAVALI JAIPUR

प्रारूप–2

अरावली संस्थान को जयपुर शहर में वाहन किराये पर लेने हेतु दरें

वाहन का विवरण	4 घण्टे 40 कि.मी.		8 घण्टे 80 कि.मी.		12 घण्टे 120 कि.मी.		अतिरिक्त कि. मी.	
	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.
स्विफ्ट डिजायर, ईटियोस, होण्डा अमेज,								
मारूति सुजुकी एरटीगा, किया केर्न्स 7 सीटर								
इनोवा क्रिस्टा								
इनोवा हाईक्रोस								
टैम्पो ट्रेवलर 12 /14 सीटर								
मिनी बस 18 सीटर								
मिनी बस 25 सीटर								
मिनी बस 35 सीटर								
बस 52 सीटर								

सेवा प्रदाता /ट्रेवल एजेन्सी संचालक के हस्ताक्षर मय मोहर

ARAVALI JAIPUR

विवरण	स्विफ्ट डिजायर, ईटियोस, होण्डा अमेज, वोक्सवेगान सीडान	मारूति सुजुकी एरटीगा, किया केर्न्स 7 सीटर	इनोवा क्रिस्टा	ठनोवा हाईक्रोस	टैम्पो ट्रेवलर 12 / 14 सीटर	मिनी बस 18 सीटर	मिनी बस 25 सीटर	मिनी बस 35 सीटर	मिनी बस 52 सीटर
रेल्वे स्टेशन / एअरपोर्ट / बस स्टेण्ड से ड्राप एवं पिकअप (ए.सी.)									
रेल्वे स्टेशन / एअरपोर्ट / बस स्टेण्ड से ड्राप एवं पिकअप (नॉन ए.सी.)									

सेवा प्रदाता / ट्रेवल एजेन्सी संचालक के हस्ताक्षर मय मोहर

ARAVALI JAIPUR